लोहिया ग्रामीण आवास योजना

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु जो आवास विहीन हैं, व जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू0 36,000 से कम है तथा वर्ष 2002 में तैयार की गयी बीपीएल सूची के आधार पर तैयार की गई स्थाई पात्रता सूची में उनका नाम न होने कारण वे इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं, लोहिया ग्रामीण आवास योजना का प्रारम्भ किया गया। यह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैंः–

1. योजनान्तर्गत प्रति आवास आच्छादन क्षेत्रफल (कवरेज एरिया) न्यूनतम 28.30 वर्गमीटर में होगा और दो कमरे निर्मित किया जाना अनुमन्य है। पति आवास हेतु 2,75,000/– शासकीय अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

2. इस योजना के अधीन निर्मित होने वाले प्रत्येक आवास के लिये रू0– दो लाख पचहत्तर हजार के अनुदान मे ही रू0–30,000/– की सीमा तक सोलर लाइट के लिये शासकीय सहायता अनुमन्य की गयी है।

3. सोलर लाइट के 5 साल तक नियमित रख–रखाव एवं देखरेख की व्यवस्था है।

4. आवास का निर्माण निर्धारित मानचित्र के अनुसार किया जायेगा। आवंटित आवास का मानक के अनुसार ही न्यूनतम आच्छादन क्षेत्रफल 28.30 वर्गमीटर रहेगा। इस हेतु विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी कार्मिक द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की भूमि पर ले–आउट बनाया जायेगा। घर के आन्तरिक ले–आउट यथा कमरों के आकार आदि में लाभार्थी की इच्छानुसार परिवर्तन अनुमन्य किया जा सकेगा, किन्तु दो कमरें अवश्य बनाना प्राविधानित है।

5. प्रत्येक निर्मित आवास के मुख्य द्वार के पार्श्व में दीवार पर शिलापट्ट/टाइल लगायी जायेगी, जिस पर योजना का नाम, लाभार्थी का नाम एवं निर्माण वर्ष अंकित होगा साथ ही प्रत्येक निर्मित आवास की पुतायी सफेद रंग की जायेगी, जिसके किनारों की पुताई लाल रंग से होगी तथा इसके लिये अन्य कोई धनराशि अलग से देय नहीं होगी।

6. आवासों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होगा। यदि परिवार में महिला अर्थात पत्नी का देहान्त हो गया हो, तो आवास विधुर पति को भी आवंटित किये जाने की छूट होगी।

7. आवास के साथ शौचालय निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित ''निर्मल भारत अभियान'' एवं मनरेगा से डवटेल (युगपित) कर निधियां प्राप्त की जायेंगी।

8. वर्ष 2014–15 से मनरेगा से 90 दिन की सीमा तक कन्वर्जेन्स की व्यवस्था की गयी है।

9. आवास के लाभार्थियों से सम्बंधित समस्त सूचनाएं यथा लाभार्थी का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, लाभार्थी का फोटो एवं आवास का फोटो (सोलर लाइट सहित) अन्य विवरण प्रदेश की वेबसाइट lgay.up.nic.in पर जन सामान्य हेतु उपलब्ध है ।

.....